

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

पत्र सं०- 562/रा०वि०आ०-पा०नि०/नि०कार्य/टेण्डर/2025-26

दिनांक: 25 अगस्त, 2025

अल्पकालिक निविदा सूचना

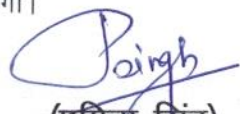
रा०वि०आ०/पा०नि० के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में स्वीकृत कार्यों में से रु० 5.00 लाख से अधिक लागत के कुल 10 निर्माण कार्यों की जी०एस०टी० रहित सीलबन्द आफलाइन निविदायें निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रतिशत दर के आधार पर नगर पालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में वर्ष 2025-26 में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से दिनांक: 12 सितम्बर, 2025 को अपराह्न 03:30 बजे तक 1-नगर पालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में, 2-प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एवं 3-उपजिलाधिकारी सदर, बहराइच कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, बहराइच के कार्यालय कक्ष में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सायं-04:00 बजे खोली जायेगी। निविदा के साथ रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप) तथा 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के पदनाम से बन्धक हो, जमा करना होगा। प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक धरोहर/जमानत धनराशि टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र 1-नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग, 2-प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एवं 3-उपजिलाधिकारी सदर, बहराइच कार्यालय से दिनांक: 09 सितम्बर, 2025 को कार्यालय अवधि (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) निर्धारित मूल्य जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाओं अथवा न्यूनतम निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगर पालिका परिषद, बहराइच की वेबसाइट- www.bahraichnpp.in पर देखी जा सकती है।

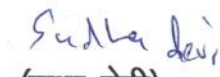
कार्य संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० रहित)	2 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जी०एस० टी० 18 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निर्माण विभाग के कार्यालय और सभासद कक्ष की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	608658.00	12175.00	609.00	110.00	719.00	दो माह
2	चफरिया में छोटे बीमार पशु हेतु बाड़े का निर्माण कार्य।	555579.00	11115.00	556.00	100.00	656.00	दो माह
3	बेरिया माता मन्दिर के पास कुएं का चबूतरा, पेड़ का चबूतरा एवं अन्य सौन्दर्यीकरण का कार्य।	558302.00	11170.00	558.00	100.00	658.00	दो माह
4	त्रिमुहानी घाट पर गेट से इंटरलाकिंग तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	849520.00	16990.00	850.00	153.00	1003.00	ढाई माह
5	वैडिंग जोन पर टिन शेड का निर्माण कार्य।	559513.00	11190.00	560.00	101.00	661.00	दो माह
6	काजीपुरा उत्तरी में अच्छन भाई के मकान से खलील शाही के मकान तक नाली और इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	985427.00	19710.00	985.00	177.00	1162.00	ढाई माह
7	चफरिया में बीमार पशु हेतु बाड़े का निर्माण कार्य।	555579.00	11115.00	556.00	100.00	656.00	दो माह
8	कृषि फार्म गेट पर पुलिया एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	563877.00	11280.00	564.00	102.00	666.00	दो माह
9	मुख्य मार्ग पर पुलिया से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कार्यालय तक नाली सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	885261.00	17705.00	885.00	159.00	1044.00	ढाई माह
10	केवानागंज में एक्का स्टैण्ड से जय हिन्द कोठी तक बी०सी० के साथ पुनर्निर्माण कार्य।	997221.00	19945.00	997.00	179.00	1176.00	ढाई माह

शर्तें

- निविदा के सीलबन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- सीलबन्द निविदायें नगर पालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच एवं उपजिलाधिकारी बहराइच के कार्यालय में रखे बाक्स में दिनांक: 12 सितम्बर, 2025 को सायं 03:30 बजे तक ही डाली जायेंगी, जो उसी दिन 04:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बहराइच के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी।
- अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खोलने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा प्रपत्र की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी, स्थान व समय तथा निविदा की वैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।

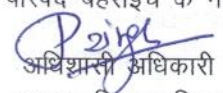
4. निविदा स्वीकृति सूचना/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण-पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व शासन के दिशा निर्देशानुसार स्थल पर साइनबोर्ड लगाना होगा तथा कार्य स्थल का त्रिस्तरीय चित्र साइनबोर्ड सहित कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होने की सूचना अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को लिखित रूप में ठेकेदार को देना होगा। तदुपरान्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
7. कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है, तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप कराना होगा, अन्यथा कराये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. नगर पालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अतिरिक्त अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को टेण्डर प्रपत्र क्रय करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न करनी होगी तथा निविदा के साथ विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, नवीनतम हैसियत, चरित्र प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी एवं अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जाँच ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करानी होगी।
10. प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगर पालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगर पालिका परिषद बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदुपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. उपरोक्त प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक कम से कम तीन निविदायें प्राप्त होने पर निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
12. प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बन्ध में किसी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
13. उक्त निविदा सूचना में अंकित निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं है, जिसका भुगतान नियमानुसार बिल की धनराशि में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।
14. ऐसे राज्यपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा से 02 साल सेवानिवृत्त के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य कराते हुए पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
15. पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, सभासद के प्रथम ब्लड रिलेशन एवं उनके स्पाउसेस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
16. निविदादाता को रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ-पत्र के माध्यम से यह प्रमाण देना होगा कि निविदादाता के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा नहीं है और न ही निविदादाता बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है।
17. कार्य हेतु अवशेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध के समय टी0डी0आर/एफ0डी0आर/सी0डी0आर/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में 08 प्रतिशत जमानत धनराशि की कटौती भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
18. कार्य क्रमांक 10 पर अंकित कार्य हेतु निविदादाता/फर्म के लिए कार्य स्थल से 50 कि०मी० की परिधि के अन्दर स्थापित हॉट मिक्स प्लांट/बैच मिक्स प्लांट एवं मकैनिकल मिक्स प्लांट के स्वामित्व का प्रमाण अथवा किसी अन्य स्वामित्व वाले व्यक्ति से लीज पर कार्य के समय देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा/साथ ही लीज पर देने वाले उल्लिखित प्लांट के स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
19. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्मों को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।


(प्रमिता सिंह)
अधिशाली अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।


(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्त
प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा प्रपत्रों की पाँच-पाँच प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निविदा फार्मों की बिक्री हेतु किसी कर्मचारी को अधिकृत करने के साथ-साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर टेण्डर बाक्स में पड़े निविदा फार्मों को खोलने का कष्ट करें।
3. उपजिलाधिकारी महोदय बहराइच को उपरोक्त निर्माण कार्यों के निविदा फार्मों की पाँच-पाँच प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि को निविदा फार्मों की बिक्री तथा निविदा फार्मों को जमा किये जाने हेतु अपने अनीनस्थ किसी कर्मचारी को अधिकृत करने की कृपा करें।
4. कार्यालय जिलाधिकारी/बहराइच/उपजिलाधिकारी बहराइच/नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच।